ायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी – रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.
ुकदमा नम्बर 420 / 2025 प्रार्थनापत्र

01 श्री नारायण लाल पिता नेता भील आयु वयस्क निवासी– बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रार्थी

बनाम

01 मांगीलाल पिता लक्ष्मण भील उम्र वयस्क निवासी– अजीतपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 हुक्मा पुत्र मकना भील निवासी डोलाई का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
01. श्री कन्हैयालाल सेन ———अधिवक्ता प्रार्थी
02. विपक्षी सख्या 01 ——— एक तरफा कार्यवाही
04. पेरोकार सरकार ——— उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनाक– 15.12.2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत स्तुत कर सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला ीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता सख्या 65 के राजी नम्बर 450, 451, 453, 454, 455, 456 कुल किता 06 कुल रकबा 1.1889 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि ार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। ार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि जो विपक्षी की आराजी नम्बर 446, 445, 439, 38, से होकर आता जाता है, उक्त रास्ता 30 फीट चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के श्चात विपक्षीगण अनुपस्थित हुए व प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीया की आराजियात पर प्रस्तावित ास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते ुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय ा ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को आराजियात पर आने जाने , संज ेलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता ै। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता सख्या 65 के आराजी नम्बर 450, 451, 453, 454, 455, 456 कुल किता 06 कुल रकबा 1.1889 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी नम्बर 446, 445, 439, 438,मे से है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की कृषि आराजीयात ही है। उक्त आरजीयात पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता विघालय भुमि मे होने से दिया जाना उचित नही है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम बागजणा का खसरा नम्बर 446, रकबा 0.1770 हैक्टयर मे से 68 मीटर लम्बा व 04 मीटर चौडा रकबा 0.0272 हैक्टयर खसरा नम्बर 445, रकबा 0.1770 हैक्टयर मे से 50 मीटर म्बा व 04 मीटर चौडा रकबा 0.0200 हैक्टयर खसरा नम्बर 449 रकबा 0.1897 हैक्टयर मे से 08 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा रकबा 0.0016 हैक्टयर खसरा नम्बर 438 रकबा 0.1391 बिलानाम सरकार मे से 08 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा रकबा 0.0016 हैक्टयर प्रस्तावित है जिसमे खसरा नम्बर 446, 445, 439, खातेदारी मे से 0.0488 है ं बिलानाम खसरा नम्बर 438 मे से 0.0016 हैक्टयर कुल रकबा 0.0504 रास्ता हेतु प्रस्तावित हैअतः मौका रिपो ुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत पर जाने का रास्ता नही होने से प्रार्थी को रास्ता दिलाया जाना न्यायोचि ीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी प
सहायक कलक्टर क

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद बागजणा पटवार हल्का गोरधनपुरा भू
अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की
कृषि आराजियात जिसके आराजी के खाता संख्या 65 के आराजी नम्बर 450, 451, 453, 454, 455, 456 कुल किता
ल कुल रकबा 1.1889 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थी को अपनी कृषि आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता
आराजी नम्बर 446, 445, 439, 438, मे से है। उक्त आराजीयात पर आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या
1 लगायत 03 की कृषि आराजीयात ही है। उक्त आरजीयात पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता विधालय भुमि से
ने से दिया जाना उचित नही है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम बागजणा का खसरा नम्बर 446, रकबा 0.1770
क्टयर मे से 68 मीटर लम्बा व 04 मीटर चौडा रकबा 0.0272 हैक्टयर खसरा नम्बर 445, रकबा 0.1770 हैक्टयर मे
50 मीटर लम्बा व 04 मीटर चौडा रकबा 0.0200 हैक्टयर खसरा नम्बर 439 रकबा 0.1897 हैक्टयर मे से 08
टर लम्बा व 02 मीटर चौडा रकबा 0.0016 हैक्टयर खसरा नम्बर 438 रकबा 0.1391 बिलानाम सरकार मे से 08
टर लम्बा व 02 मीटर चौडा रकबा 0.0016 हैक्टयर प्रस्तावित है जिसमे खसरा नम्बर 446, 445, 439, खातेदारी मे
0.0488 है एव बिलानाम खसरा नम्बर 438 मे से 0.0016 हैक्टयर कुल रकबा 0.0504 हैक्टयर रास्ते के रूप (
का पर्चा रिपोर्ट के साथ सलग्न प्रस्तावित भू नक्शे मे दर्शितानुसार) मे कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया
ना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भाति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की
ना पारित की जाती है। मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त प्रस्तावित नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इस आदेश की
ना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने
0.0595 हैक्टयर भुमि रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 01
यत 03 को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)